रजिस्टर्ड नं० ल०-33/13-14/93

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, 24 नवम्बर, 1993/3 अग्रहायण, 1915

विधि विभाग
(विधायी एवं राजभाषा खण्ड)

अधिसूचना

शिमला-2, 11 अगस्त, 1992

संख्या एल० एल० आर० (राजभाषा) बी (16)-3/92.—हिमाचल प्रदेश राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) अधिनियम, 1981 (1981 का 12) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए "दि हिमाचल प्रदेश क्लाइमिंग/ट्रैकिंग पोर्टर्ज) रेग्युलेशन आफ इम्पलॉएमेन्ट) ऐक्ट, 1977

2161-राजपत्र/92-24-11-93—1,150. मूल्य : 1 रुपया।

(1978 का 4)" के, संलग्न अधिप्रमाणित राजभाषा रूपान्तर को एतद्द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने का आदेश देते हैं। यह उक्त अधिनियम का राजभाषा (हिन्दी) में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा और इसके परिणामस्वरूप भविष्य में उक्त अधिनियम में कोई संशोधन अपेक्षित हो, तो वह राजभाषा में करना अनिवार्य होगा।

हस्ताक्षरित/-
सचिव (विधि)।

हिमाचल प्रदेश आरोहण/यात्रा पोर्टर (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1977

(1978 का 4)

(31-3-1992 को यथाविद्यमान)

हिमाचल प्रदेश का परिदर्शन कर रहे आरोहण/यात्रा दलों को पोर्टरों को प्रदाय विनियमित करने के लिए **अधिनियम**।

भारत गणराज्य के अट्ठाईसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश आरोहण/यात्रा पोर्टर (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1977 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य पर है।

(3) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जैसी राज्य सरकार इस निमित्त, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे, और अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों और राज्य के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "सक्षम प्राधिकारी" से निदेशक, पर्वतारोहण संस्थान मनाली अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत कोई अन्य अधिकारी भी है जिसे राज्य सरकार द्वारा, इस अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा नियुक्त किया जाए ;

(ख) जब पर्वतारोहरण अभियान के सम्बन्ध में प्रयोग किया जाता है तब "नियोजक" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिस का अभियान के कामकाज पर अन्तिम नियंत्रण रहता है, और जब अभियान का कामकाज किसी व्यक्ति को सौंपा जाता है (चाहे उसे प्रबन्ध एजेन्ट, प्रबन्धक, अधीक्षक या किसी अन्य नाम से पुकारा जाए) तो ऐसा अन्य व्यक्ति उस अभियान के सम्बन्ध में नियोजक समझा जाएगा ;

(ग) "संस्थान" से पर्वतारोहण संस्थान मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत है ;

(घ) "पोर्टर" से चोटियों पर चढ़ने से सम्बन्धित संक्रिया में, हिमाचल प्रदेश परिदर्शन पर आने वाले आरोहण/यात्रा दलों की चाहे सीधे या किसी एजेन्सी के माध्यम से, भाड़े या पारिश्रमिक के लिए, कुशल/अकुशल या शारीरिक कोई काम करने में सहायता करने के लिए नियोजित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, किन्तु पर्वतारोहण अभियान के सदस्यों के लिए मुख्यतः प्रबन्धकीय या लिपिकीय हैसियत अथवा चिकित्सीय परिचारक के रूप में आरोहण संक्रिया में सहायता करने के लिए नियोजित कोई व्यक्ति इसके अन्तर्गत नहीं है ;

(ङ) "अर्हित चिकित्सा व्यवसायी" से भारतीय चिकित्सा उपाधि अधिनियम, 1916 (1916 का 7) की अनुसूची में विनिर्दिष्ट, या भारतीय

आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा प्रदान की गई अर्हता रखने वाला व्यक्ति अभिप्रेत है ; और

(च) "राज्य सरकार" से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है ।

आरोहण और यात्रा दलों को सहायता के लिए पोर्टरों का नियोजन ।

3. (1) कोई पोर्टर, जो संस्थान के पास रजिस्ट्रीकृत नहीं है और सक्षम प्राधिकारी द्वारा आरोहण संक्रिया में सहायता करने के लिए नियोजित किए जाने के योग्य प्रमाणित नहीं है, हिमाचल प्रदेश परिदर्शन पर आए आरोहण/यात्रा दलों की सहायता करने के लिए पोर्टर के रूप में नियोजित नहीं किया जाएगा या नियोजित किए जाने की अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(2) हिमाचल प्रदेश परिदर्शन पर आने वाला प्रत्येक आरोहण/यात्रा दल अपने पर्वतारोहण अभियान चलाने की योजना/कार्यक्रम के साथ-साथ पोर्टरों की अपनी आवश्यकता के बारे में सक्षम प्राधिकारी को सूचित करेगा और सक्षम प्राधिकारी पोर्टरों के रूप में नियोजन के लिए अपने कार्यालय में रखे पोर्टरों के रजिस्टर में से उपयुक्त पोर्टरों की सिफारिश करेगा ।

पोर्टरों के रजिस्ट्रीकरण के लिए अर्हताएं ।

4. इस अधिनियम के अधीन कोई भी पोर्टर रजिस्ट्रीकरण के लिए पात्र नहीं होगा ,—

(क) जिसने अपनी अठारह वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की हो ;

(ख) जिसकी अर्हित चिकित्सा व्यवसायी द्वारा, जिसके पास पोर्टर की सक्षम प्राधिकारी द्वारा चिकित्सा परीक्षण के लिए निर्देशित किया जाता है, यह प्रमाणित करते हुए चिकित्सा प्रमाण-पत्र नहीं दिया है कि वह ऊंची जगहों पर आरोहण संक्रिया में लगाए जाने के लिए स्वस्थ है ; और

(ग) आरोहण संक्रिया के क्षेत्र में जिसकी उपस्थिति जिला मजिस्ट्रेट द्वारा क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर ऐसा आरोहण संक्रिया क्षेत्र पड़ता है लोकहित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली समझी जाती है ।

पोर्टरों के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन ।

5. (1) जो व्यक्ति हिमाचल प्रदेश परिदर्शन पर आने वाले आरोहण/यात्रा दलों की सहायता करने के लिए पोर्टर के रूप में कार्य करना चाहता है सक्षम प्राधिकारी को, ऐसे प्राधिकारी द्वारा रखे जाने वाले "पोर्टरों के रजिस्टर", में अपने नाम का रजिस्ट्रीकरण करने के लिए आवेदन करेगा ।

(2) उप-धारा (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन विहित प्ररूप में किया जाएगा और उसके साथ ऐसी फीस भी दी जाएगी जैसी विहित की जाए ।

(3) उप-धारा (1) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, सक्षम प्राधिकारी,—

(क) आवेदक को अर्हित चिकित्सा व्यवसायी के पास यह सुनिश्चित करने के लिए कि आवेदक ऊंची जगहों पर पोर्टर के रूप में कार्य करने के लिए स्वस्थ है, निदर्शित करेगा ; और

(ख) आवेदक के पूववृत्त सत्यापित करवाएगा और यह सुनिश्चित करेगा कि जिला मजिस्ट्रेट को आरोहण संक्रिया के क्षेत्र में आवेदक की उपस्थिति पर कोई आक्षेप नहीं है ।

(4) यदि, सक्षम प्राधिकारी का ऐसी जांच करने के पश्चात जैसी वह ठीक समझे, समाधान हो जाता है कि आवेदक पोर्टर के रूप में कार्य करने के लिए स्वस्थ है तो, प्रथमत: उसका नाम एक वर्ष के लिए पोर्टर के रूप में रजिस्ट्रीकृत करेगा और उसको रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जैसी कि वह ठीक समझे, जारी करेगा :

परन्तु इस धारा के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई भी आवेदन तब तक अस्वीकृत नहीं किया जाएगा, जब तक कि आवेदक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं किया गया हो और इस प्रकार पारित किए गए आदेश में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अस्वीकृति के कारण अभिलिखित न किए गए हों।

(5) उप-धारा (4) के अधीन जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र एक वर्ष के लिए विधिमान्य होगा और तत्पश्चात् इसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा, समय-समय पर ऐसी शर्तों के अधीन रहते जैसी यह ठीक समझे, एक समय पर एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए, विहित नवीकरण फीस के संदाय पर, और सक्षम प्राधिकारी का समाधान हो जाने पर कि आवेदक का इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन पोर्टर के रूप में अर्हित होना समाप्त नहीं हुआ है, नवीकृत किया जाएगा।

(6) यदि पूर्व जारी या नवीकृत प्रमाण-पत्र को इसकी अवधि के अवसान के पश्चात तीस दिन के भीतर नवीकृत नहीं किया जाता है तो रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की विधिमान्यता समाप्त हुई समझी जाएगी।

(7) जहां इस धारा के अधीन जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र खो, नष्ट या विकृत हो जाता है, तो विहित फीस के संदाय पर दूसरी प्रति दी जा सकेगी।

पोर्टरों का वर्ग।

6. आवेदक द्वारा अपने आवेदन में कथित तथ्यों और धारा 5 की उप-धारा (3) के अधीन अर्हित चिकित्सा व्यवसायी द्वारा जारी किए गए चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर विचार करने के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी आवेदक को निम्नलिखित में से किन्हीं वर्गों के पोर्टरों में वर्गीकृत करने को सक्षम होगा और आवेदक का नाम उस द्वारा रखे जाने वाले सुसंगत रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत करवाएगा :—

(क) किसी ऊंचाई में आरोहण/यात्रा दलों की सहायता करने की ...."क" वर्ग ;

(ख) उन्नीस हजार फुट से अनधिक ऊंचाई तक आरोहण/यात्रा दलों की सहायता करने को....."ख" वर्ग ;

(ग) तेरह हजार पांच सौ फुट से अनधिक ऊंचाईयों तक आरोहण/यात्रा दलों की सहायता करने को....."ग" वर्ग।

रजिस्ट्रीकृत पोर्टरों को पहचान पत्र जारी करना।

7. (1) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक पोर्टर को सक्षम प्राधिकारी द्वारा, ऐसे प्ररूप में, जैसा विहित किया जाए, पहचान पत्र जारी किया जाए।

(2) अपने नियोजन की सारी अवधि में पोर्टर अपना पहचान-पत्र साथ रखेगा और सक्षम प्राधिकारी द्वारा जब कभी उस से ऐसा करने की अपेक्षा की जाए तो उसे निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करेगा।

रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण ।

8. (1) सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी पोर्टर के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र को वापस लिया जा सकेगा या रद्द किया जा सकेगा,—

(i) यदि सक्षम प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि प्रमाण-पत्र कपट या भूल से अभिप्राप्त किया गया है ; या

(ii) पोर्टर के रजिस्ट्रीकरण के पश्चात प्रमाणकर्ता चिकित्सा व्यवसायी ने उस द्वारा पोर्टर को दिया गया या नवीकृत किया गया स्वस्थता प्रमाण-पत्र, यदि प्रति संहृत कर दिया है, जिसके आधार पर रजिस्ट्रीकरण प्रभावित हुआ है; या

(iii) यदि धारा 10 के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्देश किए जाने पर, अर्हित चिकित्सा व्यवसायी यह घोषित करता है कि पोर्टर ऊंचाईयों पर पोर्टर के रूप में काम करने के लिए स्वस्थ नहीं है ; या

(iv) यदि, जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा, जिसकी क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र की स्थानीय सीमाएं या क्षेत्र का अधिक भाग पड़ता हो, पोर्टर की उपस्थिति को लोकहित के प्रतिकूल समझा जाता है ; या

(v) यदि, सक्षम प्राधिकारी की राय में, उसके नियोजन के निर्बन्धनों के अधीन अपनी बाध्यताओं के निर्वहन में पोर्टर अवचार या जानबूझकर किए गए व्यतिक्रम अथवा उपेक्षा का दोषी है और सक्षम प्राधिकारी की राय में, आरोहण/यात्रा दलों की सहायता करने में लगाए जाने या लगाए जाने को अनुज्ञात करने के योग्य नहीं है ; या

(vi) पोर्टर के अपने अनुरोध पर :

परन्तु सक्षम प्राधिकारी द्वारा पोर्टर को पन्द्रह दिन से अन्यून का पूर्व नोटिस, उस आधार को विनिर्दिष्ट करते हुए जिस पर रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र को प्रत्याहृत करना या रद्द करना प्रस्तावित है, दिया जाएगा, जब तक रजिस्ट्रीकरण का प्रत्याहरण या रद्दकरण पोर्टर के अपने अनुरोध पर न हो ।

(2) जब कभी सक्षम प्राधिकारी द्वारा उप-धारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण-पत्र को प्रत्याहृत या रद्द किया जाता है, तो पोर्टर इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन उसको जारी किए गए अपने रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र और पहचान पत्र को ऐसे रद्दकरण की तारीख के पश्चात पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर, अभ्यर्पित करेगा ।

स्वस्थता का प्रमाण-पत्र ।

9. (1) धारा 4 के खण्ड (ख) के प्रयोजनों के लिए दिया गया या नवीकृत स्वस्थता का प्रमाण-पत्र, —

(क) उसकी तारीख से केवल बारह महीने की अवधि के लिए ही विधिमान्य होगा, और

(ख) नियोजन के विषय में साधारणतया या कार्य की प्रकृति जिसमें पोर्टर को नियोजित किया जा सकेगा या नियोजित किए जाने को अनुज्ञात किया जा सकेगा, विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन होगा ।

(2) प्रमाणकर्ता चिकित्सा व्यवसायी उस द्वारा प्रदान या नवीकृत किए गए प्रमाणपत्र को प्रतिसंहृत करेगा यदि उसकी राय में, इसका धारक, उस में कथित हैसियत में कार्य करने के योग्य न रहा हो।

(3) जहां प्रमाणकर्ता चिकित्सा व्यवसायी प्रमाण-पत्र देने या नवीकृत करने से इन्कार करता है, प्रमाण-पत्र प्रतिसंहृत करता है वहां पर वह, सम्बन्धित पोर्टर द्वारा ऐसी अपेक्षा किए जाने पर, ऐसा करने के लिए अपने कारणों का विवरण देगा।

(4) जहां धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) में यथा निर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए जैसी किसी पोर्टर के सम्बन्ध में धारा 5 के अधीन कोई प्रमाण-पत्र, दिया जाता है या नवीकृत किया जाता है, वहां पोर्टर से उन शर्तों के अनुसार के सिवाय, पोर्टर के रूप में अपना काम करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी या कार्य करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

चिकित्सीय परीक्षा की अपेक्षा करने की शक्ति।

10. (1) जहां सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि आरोहण/यात्रा दलों की पोर्टर के रूप में सहायता करने को नियोजित कोई व्यक्ति,—

(क) संक्रामक या सांसर्गिक रोग से पीड़ित है ; या
(ख) स्वस्थता के प्रमाण-पत्र के बिना है ; या
(ग) स्वस्थता का प्रमाण-पत्र रखने वाला व्यक्ति है, किन्तु प्रमाण-पत्र में कथित हैसियत से कार्य करने के योग्य नहीं है ;

तो यह आरोहण/यात्रा दल के प्रबन्धक पर यह अपेक्षा करते हुए नोटिस की तामील करेगा कि ऐसे व्यक्ति की अर्हित चिकित्सा व्यवसायी द्वारा, जिस के पास चिकित्सीय परीक्षा के लिए सक्षम प्राधिकारी निर्देशित करे, परीक्षा की जाएगी और ऐसे व्यक्ति को तब तक पोर्टर के रूप में नियोजित या कार्य करने को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब तक उसकी परीक्षा न की गई हो और यह प्रमाणित न किया गया हो कि उसे स्वस्थता का नया प्रमाण-पत्र दिया गया है।

(2) उप-धारा (1) के अधीन निर्देश पर अर्हित चिकित्सा व्यवसायी द्वारा दिया गया प्रत्येक प्रमाण-पत्र, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उसमें कथित विषयों का निश्चायक साक्ष्य होगा।

अनुचित रूप से भर्ती किए गए पोर्टरों को वापिस करने की शक्ति।

11. जहां सक्षम प्राधिकारी को, ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी वह ठीक समझे, यह प्रतीत हो कि आरोहण/यात्रा दलों की सहायता के लिए नियोजित कोई पोर्टर, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार से अन्यथा भर्ती किया गया है, वहां सक्षम प्राधिकारी यह निदेश कर सकेगा कि ऐसे पोर्टर को सेवामुक्त किया जाएगा और नियोजक द्वारा और उसके खर्चे पर उसके घर वापिस भेजा जाएगा।

मजदूरी की दरों का नियतन और पुनरीक्षण।

12. (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा,—

(क) कार्यरत पोर्टरों के बारे में मजदूरी की दर नियत कर सकेगी और विभिन्न परिक्षेत्रों और विभिन्न काम की दशाओं के बारे में, मजदूरी की विभिन्न दरें नियत की जा सकेंगी;

(ख) इस धारा के अधीन नियत मजदूरी की दरें समय-समय पर ऐसे अन्तरालों पर जैसे यह ठीक समझे, पुनरीक्षित कर सकेगी ।

(2) कालानुपाती काम या मात्रानुपाती काम के लिए कार्यरत पोर्टरों की मजदूरी की दरें राज्य सरकार द्वारा नियत या पुनरीक्षित की जा सकेंगी ।

(3) इस प्रकार नियत मजदूरी की दरें सभी नियोजकों और कार्यरत पोर्टरों पर आबद्धकर होंगी और प्रत्येक पोर्टर ऐसी दर पर मजदूरी संदत्त किए जाने का हकदार होगा जो, किसी भी दशा में, उप-धारा (1) के अधीन नियत मजदूरी की दर से कम नहीं होगी ।

(4) इस धारा की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी नियोजक को किसी विषय के सम्बन्ध में किसी पोर्टर के साथ उसे ऐसे अधिकार या विशेषाधिकार दिए जाने के लिए कोई करार करने से रोकती है जो उसके लिए उनसे अधिक अनुकूल है जिनका वह इस अधिनियम के अधीन हकदार होता ।

(5) सभी मजदूरी चालू सिक्के या करेंसी नोटों अथवा दोनों में संदत्त की जाएगी ।

चिकित्सा सुविधाएं ।

13. (1) नियोजक द्वारा पोर्टरों के लिए ऐसी चिकित्सा सुविधाओं की ऐसे संचालन केन्द्रों और विराम स्टेशनों पर, जिन तक आसानी से पहुंच हो, जो कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित किए जाएं व्यवस्था की जाएगी और बनाई रखी जाएंगी ।

(2) नियोजक द्वारा आरोहण अभियान के साथ विहित वस्तुओं से सुसज्जित प्राथमिक उपचार पेटिका का प्रबन्ध किया जाएगा और बनाई रखी जाएगी, जिस तक सम्पूर्ण कार्य समय के दौरान आसानी से पहुंच हो ।

सुविधाओं और सुविधाओं के लिए कोई प्रभार नहीं ।

14. नियोजक द्वारा, किसी पोर्टर से किसी इन्तजाम या उपलब्ध करवाई जाने वाली सुविधाओं अथवा दिए जाने वाले किसी उपकर या यंत्र के बारे में कोई फीस या प्रभार वसूल नहीं किया जाएगा ।

दुर्घटनाओं की सूचना देना ।

15. जब कभी कार्य क्षेत्र में या के समीप,—

(क) जीवन हानि या गम्भीर क्षति पहुंचाने वाली दुर्घटना होती है; या

(ख) रस्सी, जंजीर या अन्य गियर जिस द्वारा व्यक्तियों या सामग्रियों को नीचे या ऊपर उठाया जाता है की टूट फूट होती है; या

(ग) किसी शिफ्ट में जब व्यक्तियों और सामग्रियों को नीचे या ऊपर उठाया जा रहा हो, पिंजरे या अन्य प्रवहण के साधनों को अधिक लपटने;

(घ) कार्य प्रणाली आदि का कोई भाग समयपूर्व ढह जाता है ; या

(ङ) कोई अन्य दुर्घटना होती है तो अभियान का नियोजक, ऐजेंट या प्रबन्धक घटना का पूरा वृतान्त देते हुए सक्षम प्राधिकारी को तत्तकाल सूचना देगा ।

क्षति के प्रतिकर के लिए नियोजक का दायित्व ।

16. यदि पोर्टर के रूप में उसके नियोजन से उदभूत होने वाली दुर्घटना द्वारा या पोर्टर के रूप में नियोजन के लिए उसके प्रशिक्षण के दौरान पोर्टर को वैयक्तिक क्षति होती है, तो उसका नियोजक प्रतिकर देने के लिए दायी होगा और ऐसा प्रतिकर कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के अधीन वैसी ही क्षति के लिए विहित प्रतिकर की दरों के मापमान पर निर्धारित किया जाएगा । 1923 का

शास्तियां।

17. यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने का प्रयत्न करता है अथवा उल्लंघन का दुष्प्रेरण करता है, तो वह, मैजिस्ट्रेट द्वारा दोषसिद्धि पर, दोनों में से किसी प्रकार के कारावास से जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो तीन सौ रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, और जारी रहने वाले उल्लंघन की दशा में, अतिरिक्त जुर्माने से, जो ऐसे प्रथम उल्लंघन के लिए दोषसिद्धि के पश्चात प्रतिदिन के लिए जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, पचास रुपय तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

नियम बनाने की शक्ति।

18. (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित के लिए उपबन्ध किया जा सकेगा,—

(क) धारा 3 के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा रखे जाने वाले पोर्टरों के रजिस्टर का प्ररूप;

(ख) धारा 5 के अधीन पोर्टरों के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदनों या रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्रों के नवीकरण के लिए आवेदनों का प्ररूप, वे विशिष्टियां जो इस में होंगी, इनके साथ दी जाने वाली फीस और ऐसी फीस को जमा कराने की रीति ;

(ग) धारा 6 की उप-धारा (4) के अधीन जारी किए जाने वाले रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र का प्ररूप ;

(घ) धारा 7 के अधीन पोर्टर को जारी किए जाने वाले पहचान पत्र का प्ररूप ;

(ङ) नियोजन के बारे में सामान्य शर्तें या कार्य की प्रकृति जिसमें पोर्टरों को नियोजित किया जा सकेगा या नियोजित किए जाने को अनुज्ञात किया जा सकेगा ;

(च) धारा 12 के अधीन कार्यरत पोर्टरों के बारे में मजदूरी की दर का नियतन या पुनरीक्षण ; और

(छ) कोई अन्य मामला जो, इस अधिनियम के अधीन विहित किया जाना है या विहित किया जाए।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र, विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल चौदह दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों मे पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व विधान सभा उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाए तो तत्पश्चात वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व विधान सभा सहमत हो जाए कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।